

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/627

29.10.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आरबीआई के ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्टर्स पर टिप्पणियां आमंत्रित करना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 9 अक्टूबर, 2025 तक जारी किए गए नियामक निर्देशों को 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के लिए 238 मास्टर निर्देशों में समेकित करने के लिए एक व्यापक कार्य शुरू किया है। इस कार्य का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के लिए नियामक निर्देशों की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार लाना है, जिससे उनकी अनुपालन लागत कम हो सके।

इन ड्राफ्ट मास्टर निर्देशों की सूची यहां से प्राप्त की जा सकती है:

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewREwiseDraftDirections.aspx

सदस्यों के लिए कार्रवाई:

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन मसौदा निर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें तथा ऐसे किसी भी प्रावधान के संबंध में टिप्पणी, सुझाव या चिंताएं साझा करें जो उनके व्यवसाय संचालन, ऋण पहुंच या अनुपालन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेष रूप से, सदस्य **भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएँ) निर्देश, 2025 पर अपनी टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ साझा कर सकते हैं, जिन्हें निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है।** इस निर्देश का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण सुविधाओं के संबंध में अद्यतन दिशानिर्देश प्रदान करना है, जिसमें शर्तें, पात्रता, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन आवश्यकताएँ शामिल हैं।

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewREwiseDraftDirections.aspx?id=13

यह ध्यान देने योग्य है कि इस समेकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, आरबीआई विनियमन विभाग द्वारा प्रशासित लगभग 9000 परिपत्रों (मास्टर परिपत्रों/मास्टर निर्देशों सहित) को निरस्त करेगा।

कृपया अपने इनपुट 05.11.2025 तक bharti@plexconcil.org ; raja@plexconcil.org पर साझा करें।

सुनिश्चित करें कि सभी सुझाव स्पष्ट, संक्षिप्त हों और यदि संभव हो तो उदाहरणों या संदर्भों द्वारा समर्थित हों।

हम सभी सदस्यों को इस परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्लास्टिक उद्योगों की चिंताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल